न्यायालय अपर जिला कलक्टर, फलोदी जिला फलोदी राज0

बइजलारा श्री गोपालराम बिरड़ा (आर.ए.एस.)

प्रार्थना पत्र सं0 03/2023

प्रार्थीगण

1–मोहनराम पुत्र श्री रावतराम
2– सुखाराम पुत्र सीताराम
जाति भार्गव निवासी चाखु
तहसील– घंटियाली जिला फलोदी

बनाम

अप्रार्थीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार घंटियाली
2. आसी पुत्री प्रभूराम
3. ऊषा पुत्री प्रभूराम
4. कवूडी पुत्री प्रभूराम
5. जुगराज पुत्र प्रभूराम
6. जसराज पुत्र प्रभूराम
7. वाधु पत्नि प्रभूराम
8. बाबूराम पुत्र प्रभूराम
9. रामलाल पुत्र प्रभूराम

सभी जाति लोहार निवासी– भींयासर
तहसील फलोदी जिला फलोदी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम
निरस्त करने आंवटन आदेश कमांक/राजस्व/1978/119 के विरूद्व

निर्णय

दिनांक – 8.5.2024

कि प्रार्थी ग्राम चाखु के स्थाई निवासी है एवं खसरा सं0 664 के नये खसरा नंबर 664 व 664/15 में स्थाई निवास करते है इसलिये इस भूमि पर इनका हक व कब्जा व हित होने से प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र जिला कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर खसरा सं0 664 व 664/15 में बने हुवे कच्चे पक्के 15–20 परिवार के निवास करने के आधार पर उक्त खसरान की भूमि कि आबादी में किस्म परिवर्तन का निवेदन किया जिस पर तहसीलदार, घंटियाली ने जॉच कर खसरा नं0 664 व 664/15 में बने 15–20 कच्चे पक्के मकानो में प्रार्थीगण स्थाई निवास बताया इस खसरान की भूमि में अप्रार्थीगण सं0 2 का मौके पर कोई कब्जा होना नही पाया गया एवं उल्लेख किया कि उक्त भूमि का आंवटन निरस्त किया जाना उचित है उपखण्ड अधिकारी बाप ने आवंटन निरस्त करने की सिफारिश की जिस पर प्रार्थीगण ने आंवटन आदेश की प्राप्त करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया परन्तु आज दिनांक तक आंवटन आदेश की प्रति प्रस्तुत नही हुई खसरा सं0 664 रकबा 100 बीघा किस्म बी–4 मे से 50 बीघा भूमि प्रभूराम के नाम से नामान्तरकरण सं0 626 के जरिये दर्ज की गई एवं तत्पश्चात प्रभूराम का देहान्त होने के बाद नामान्तरकरण सं0 1665 के जरिये वारिसान ने अप्रार्थी सं0 2 से 9 के नाम दर्ज हुई व खसरा सं0 664 व 664/15 नये नंबर दर्ज किये गये अप्रार्थीगण का किसी प्रकार का कोई कब्जा नही है आंवटन आदेश का उल्लेख कर ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकरण करने का अधिकार नही है आवंटन आदेश का उल्लेख कमाक/राजस्व/ 1978/119 के अनुसार दिनांक 09.06.1976 का उल्लेख कर नामान्तरकरण सं0 626 भरा गया अप्रार्थीगण उक्त 50 बीघा भूमि का आंवटन की सीमा तक नामान्तरकरण निरस्त करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये डाक नोटिस भेजे गये अप्रार्थी सं0 1 का नोटिस के रजिस्टर्ड डाक की ट्रेक कन्साईमेंट पेश की अप्रार्थी सं0 2 से 9 की डाक रसीदे पेश की अप्रार्थी सं0 2 से 9 ने डाक लेने से इंकार किया । नोटिस पुनः प्राप्त हुवा उनके विरूद्व एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Gopal Ram Birda
Date: 2024.05.25 15:13:20 IST
Reason: SelfAttested

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गई अधिवक्ता [illegible] ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्य दोहराते हुवे बताया कि आंवटन आदेश का [illegible] ग्राम पंचायत द्वारा नहीं [illegible] सकता इस तरह का आंवटन हुवा ही नही है एवं खसरा सं0 664 के नये खसरा नं0 664/15 रकबा 2.7923 हैक्टयर व खसरा सं0 664 रकबा 4.2087 हैक्टयर भूमि पर अप्रार्थीगण सं0 2 से [illegible] कब्जा नही है एवं न ही 50 बीघा भूमि आंवटन हुई है । अप्रार्थी सं0 1 द्वारा प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट की प्रति पेश की एवं उपखण्ड अधिकारी द्वारा आंवटन निरस्त की सिफारिश पर ध्यान आकर्षित किया एवं नामान्तरकरण सं0 626 में खसरा सं0 664 व 664/15 की भूमि जो

अति. जिला मजिस्ट्रेट
फलौदी (राज.)

प्रभूराम पुत्र कुम्भाराम जाति लोहार निवासी भींयासर गैर खातेदार की सीमा तक नामान्तरकरण निरस्त किये जाने का निवेदन किया ।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं अधिवक्ता प्रार्थी की बहस का मनन किया बाद अवलोकन तहसीलदार घंटियाली व उपखण्ड अधिकारी, बाप की रिपोर्ट क्रमाक/विविध/राजस्व/2022/4445 दिनांक 26.07.2022 के अनुसार आंवटन निरस्त करने की सिफारिश की का अध्ययन किया बाद अवलोकन पत्रावली पाया कि नामान्तरकरण सं0 6626 ग्राम चाखु में प्रभूराम पुत्र कुंभाराम के नाम से दर्ज खसरा सं0 664 रकबा 50 बीघा भूमि जिसके नये नंबर 664/15 रकबा 4.2087 हैक्टयर व खसरा सं0 664/15 रकबा 2.7923 हैक्टयर कुल खसरा 2 कुल रकबा 7.0010 हैक्टयर भूमि में आवंटन आदेश क्रमाक/राजस्व/1978/119 निरस्त किये जाने योग्य है एवं उसकी पालना में भरा गया नामान्तरकरण सं0 626 भी निरस्त किये जाने योग्य है । एवं प्रार्थना पत्र स्वीकार किया उचित प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि खसरा सं0 664 रकबा 50 बीघा प्रभूराम पुत्र कुंभाराम जाति लोहार के नाम से भरा गया नामान्तरकरण सं0 626 ग्राम चाखु को प्रभूराम की सीमा तक निरस्त किया जाता है एवं तहसीलदार घंटियाली को आदेश दिया है कि खसरा सं0 664 रकबा 4.2087 हैक्टयर व खसरा सं0 664/15 रकबा 2.7923 हैक्टयर किस्म बी–4 भूमि को सिवाय चक के रूप में दर्ज करे निर्णय पत्रावली में शामिल मिसल रहे पत्रावली फैसल सुमार होकर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.05.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. जिला मजिस्ट्रेट
फलोदी (राज.)

(गोपालराम बिरड़ा)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
फलोदी

Signature Not Verified

Digitally signed by Gopal Ram Birda
Date: 2024.05.25 15:13:20 IST
Reason: SelfAttested